

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

अपील कमाक

/2016 जवलपुर

P-4132-I-16

लटोरीलाल धुर्वे पिता श्री छोटेलाल धुर्वे ,
निवासी ग्रम मुकनवारा थाना बरगी ,
तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर
2. दिनेश कुमार पटेल पिता श्री सुरेश कुमार पटेल ,
निवासी म.न: 100, ग्रम सिवनी , तिलवाराघाट ,
तहसील व जिला जवलपुर म.प्र.

....उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 44 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 पारित अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क 10/अ-21/2016-2017 मे पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 के विरुद्ध।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्रम मुकनवारा प.हं.नं. 33 रा.नि.मं.बरगी तहसील व जिला जवलपुर स्थिति भूमि खसरा नं. 134, 141, 152, रकवा कमशः 0.410, 0.370, 0.090हे कुल रकवा 0.870हे भूमि अनावेदक विक्य किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विक्य हेतु प्रयोग्य रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुबंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विक्य की अनुमति दी जावे ।



राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, गवालियर
अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 4132 / 1/2016

जिला—जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि एंव आवेदक के हस्ताक्षर
१९.१२. २०१६	<p>यह अपील कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ-21/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-11-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू- राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने कलेक्टर जवलपुर को प्रार्थना पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम मुकनवारा प.ह.नं. 33 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 134, 141, 152, रकवा क्रमशः 0.410, 0.370, 0.090, हेंड कुल रकवा 0.870 हेक्टेयर भूमि उबड —खाबड होने एंव अन —उपजाऊ होने के कारण भूमि को विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस आवेदन पत्र से कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 10/अ-21/2016-17 पंजीबद्ध किया जाकर अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से आदेश दिनांक 21.11.2016 से प्रकरण को अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3— अपील मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया ।</p> <p>4— अपीलांट के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपीलांट ने उसके निजी स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 134, 141, 152, रकवा क्रमशः 0.410, 0.370, 0.090, हेंड कुल रकवा 0.870 हेक्टेयर के विक्रय की अनुमति</p>	<p>पक्षकारों एवं अभि एंव आवेदक के हस्ताक्षर</p>

इस आधार पर मांगी है कि भूमि कम उपजाऊ है फसल पैदा नहीं हो पाती है कृषि हेतु अनुपयुक्त है पड़ती जमीन को बेचकर मोजा तिन्हेटा एंव मोजा देवरी की भूमि को कृषि योग्य बनाने उसके विकास एंव सिंचाई एंव कृषि उपकरणों आदि के साधन बनाने हेतु एंव अन्य आवश्यक कार्यों हेतु पैसों की आवश्यकता हैं। जिसके कारण विक्रय की जाने वाली भूमि के विक्रय उपरांत वह भूमिहीन नहीं होगा एंव भूमि विक्रय से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत बना सकेगा। भूमि विक्रय का प्रयोजन भी सदभावना पर आधारित है जिसके कारण विक्रय अनुमति दिये जाने में वैधानिक अडचन नजर नहीं आती है। वैसे भी अपीलांट द्वारा विक्रय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है अपीलांट द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विक्रय की अनुमति मांगी गई है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका के हिता को ध्यान में रखे वगेर ही मनमाने पूर्ण तरीके से प्रकरण को निरस्त करने में वैधानिक मूल की है जो न्याय संगत नहीं है। प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अडचन नहीं है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध म०प्र०राज्य तथा एक अन्य 2013 रा०नि०-०८-माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि –

(1) भू-राजस्व संहिता, 1959 (म०प्र०)-धारा 165(7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना – उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पटटा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये – बिना अनुमति के भूमि का अंतरण–उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – उपबंध आकर्षित नहीं होते – भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2) विधि का निर्वचन – का सिद्धात – नवीन उपबंध का अंतःस्थापन – भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने

(M)

की उपधारणा नहीं की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विलद्ध महिला श्यामबाई 2004रा०नि०183में व्यवस्था की गई है कि भू-राजस्व संहिता 1959(मोप्र०)-धारा 165(7-ख) सरकारी पटटेदार द्वारा आबंतन के 10 वर्ष पश्चात भूमिस्वामी अधिकार अंजित किये —भूमि का विक्य कर सकता है—कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क 10/अ-21/2016-17 अपील मे पारित आदेश दिनांक 21.11.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपील स्वीकार की जाकर अपीलांट को ग्राम मुकनवारा प.ह.नं 33 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 134, 141, 152, रकवा कमशः 0.410, 0.370, 0.090, हेठों कुल रकवा 0.870 हेक्टेयर के विक्य की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

1—भूमि का क्य—विक्य के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के चार माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2—भूमि का क्य—विक्य पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाइड लाईन के मान से किया जावेगा।

3—केता द्वारा विक्य प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।



सदस्य